

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर  
कमांक पं.17( ) न्याय/कोरोना/2020/ 8417 दिनांक 20/07/2020

**:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता::**

मुझे यह अवगत कराया गया है कि जिला सवाईमाधोपुर के निम्न उपखण्ड क्षेत्रों में व्यक्ति को कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित (पॉजिटिव) पाये जाने से उक्त क्षेत्रों में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की सम्भावना होकर नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

क. सं.	उपखण्ड क्षेत्र	केन्द्र बिन्दू	कपर्यु क्षेत्र
1.	सवाई माधोपुर	श्री तेजस्वी सैनी के मकान।	नीमचौकी खण्डार रोड मालियों के मन्दिर के सामने शहर सवाई माधोपुर। गणेश सैनी के मकान से बलवन्त सरदार के मकान के सामने तक सम्पूर्ण परिक्षेत्र।
2.	गंगापुरसिटी	श्री चन्द्रशेखर के निवास।	रिटेल, बडी सब्जी मण्डी के पास, नगर परिषद क्षेत्र गंगापुरसिटी। चन्द्रशेखर के निवास के होते हुए पश्चिम की ओर सडक के किनारे किनारे चलकर कन्हैया ज्यूस एण्ड आइसक्रीम की दुकान तक यही से वापस पूर्व की ओर चलते हुए गुप्ता इमारती सामान की दुकान व चन्द्रशेखर के मकान को शामिल करते हुए ओम पंतजलि की दुकान, सूरज चाट सेन्टर, जगदम्बा पान व एम.बी. साईकिल की दुकान तक सडक के सहारे सहारे का सम्पूर्ण परिक्षेत्र।
3.	खण्डार	दिनेश अग्रवाल (ठठेरा) के मकान।	तहसील खण्डार क्षेत्र। दिनेश अग्रवाल का मकान को होते हुये उत्तर दिशा में शुक्ला तिराया खण्डार में बालेर रोड पर द्विवेदी इलेक्टिकल्स की दुकान से रूपनारायण गुर्जर की इलेक्ट्रीक्स दुकान को शामिल करते हुये गोवर्धन पैलेस तक, पूर्व दिशा में गोवर्धन पैलेस से हरिओम कॉलोनी सडक से होते हुये हरिओम ब्राहमण के मकान तथा तथा दक्षिण में इस मकान से खण्डार सवाई माधोपुर रोड पर फिरोज आलमारी की दुकान तक तथा पश्चिम में कैलाश नाई के ढाबे से शुक्ला तिराया पर कुंज बिहारी शुक्ला की चाय की दुकान तक सम्पूर्ण परिक्षेत्र।

अतः मैं भवानी सिंह पंवार (R.A.S) अति०कलेक्टर एवं अति०जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश कमांक 2107 दिनांक 18.03.2020 व संशोधित आदेश कमांक 2204 दिनांक 22.03.2020 व 2447 दिनांक 31.03.2020 व 4397 दिनांक 01.06.2020 तथा 7609 दिनांक 01.07.2020 की निरन्तरता में एवं अनलॉक-2 के आदेश कमांक 7585 दिनांक 01.07.2020 में अंकित बिन्दू संख्या "A" के क्रम में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने के दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत सवाई माधोपुर जिले में उपरोक्त को (Containment Zone) घोषित कर उक्त क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (CURFEW) निषेधाज्ञा लागू करता हूँ आदेश देता हूँ कि-

1. कोरोना वायरस के संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आगमन नही करेंगे। इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर (लॉकिंग ऐरिया-जनसाधारण की सख्ती से आगमन-निर्गमन) प्रतिबंधित किया जाता है।



2. उपरोक्त क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां एवं रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।
3. उपरोक्त क्षेत्र में अत्यन्त आवश्यक सेवाओं (किराना, खाद्य सामग्री, दवाईयां, दूध, सब्जी, गैस की दुकाने, जनरल स्टोर एवं पेट्रोल पम्प) के संचालन के लिये चिन्हित होम डिलीवरी के पास मान्य होंगे।
4. उपरोक्त क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति यथा पानी, बिजली आदि की आपूर्ति नियमित रूप से संचालित रहेगी तथा दैनिक खाद्य वस्तुओ यथा फल-सब्जी, किराना, दवाईयों की आपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा होम-डिलीवरी की जावेगी।
5. उक्त वर्णित जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में पूर्व जारी समस्त प्रकार की स्वीकृतिया/ अनुमति-पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते है।
6. उक्त क्षेत्र में उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक सेवाओ के लिये कर्फ्यू-पास जारी किया जावेगा। समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
7. आवश्यक व्यवस्थाएं बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी/ कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग के लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे साथ ही उपखण्ड क्षेत्र की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग, नगर परिषद्, विकास अधिकारी, द्वारा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित विशेष अनुमति पत्र प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे
8. उक्त क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोइन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्कीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और किसी भी व्यक्ति का प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलना पूर्णतया निषेध रहेगा।
9. यह प्रतिबन्ध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, परन्तु उन्हे चिकित्सकीय लाभ हेतु निकटवर्ती चिकित्सा केन्द्र से प्राथमिक उपचार लिया जावेगा।
10. उक्त क्षेत्र के समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा, किन्तु प्रबन्धन द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पास प्राप्त धार्मिक स्थल की साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु अधिकतम 2 व्यक्ति को उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए न्यूनतम अवधि हेतु जा सकते है, जिसकी सूचना संबंधित पुलिस थाना के स्तर पर संधारित होगी।
11. कोई भी व्यक्ति या संस्था नोवल कोरोना वाइरस के संक्रमण के संबंध में दुष्प्रचार व तथ्यहीन समाचारो यथा Face Book, Twitter, Whats App, Youtube अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं करेगा। इसके उल्लंघन पर आई.टी.एक्ट के अन्तर्गत भी विधिक कार्यवाही की जावेगी।
12. समस्त प्रकार के निजी भारी एवं हल्के मोटर व्हीकल्स का आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। खाद्य सामग्री, दवाईयां, सब्जियों, दूध, गैस इत्यादि अतिआवश्यक सेवाओं के परिवहन हेतु लोडिंग वाहन उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पास प्राप्त कर कर्फ्यू क्षेत्र में आ-जा सकते है।
13. उपरोक्त क्षेत्र में अतिआवश्यक सेवाओं (पानी, बिजली, किराना, खाद्य सामग्री, दवाईयां, दूध, फल-सब्जी, गैस की दुकाने, जनरल स्टोर एवं पेट्रोल पम्प) की आपूर्ति रसद विभाग, जलदाय विभाग, कृषि विभाग, डेयरी विभाग, नगर परिषद्, विकास अधिकारी, की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।



*(Handwritten signature)*

14. मैं उक्त क्षेत्र में सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के सु-संगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जावेगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील करवाया जाना संभव नहीं है। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सवाईमाधोपुर जिले के सम्पूर्ण संदर्भित क्षेत्रों में मुख्य-मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर ध्वनि प्रसारण यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20.07.2020 को रात्रि 10.00 बजे से दिनांक 03.08.2020 तक प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 20.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया है।

(भवानी सिंह पंवार)  
अति०जिला मजिस्ट्रेट  
सवाई माधोपुर

दिनांक 20/07/2020

क्रमांक पं.17( ) न्याय/कोरोना/2020/8418-8435

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, गृह एवं न्याय विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय, पीएचईडी विभाग जयपुर एवं संभाग प्रभारी भरतपुर
4. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर।
5. महानिरीक्षक पुलिस रंज भरतपुर।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक..... राजस्थान।
8. जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर
9. अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/गंगापुर सिटी।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर।
11. प्रभारी अधिकारी वाररूम/कन्ट्रोल रूम कलेक्ट्रेट सवाईमाधोपुर।
12. उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार मलारनाडूंगर/सवाईमाधोपुर/गंगापुरसिटी/बामनवास/बौली/खण्डार/चौथ का बरवाडा/वजीरपुर
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर।
14. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सवाई माधोपुर/गंगापुरसिटी
15. आयुक्त नगर परिषद सवाई माधोपुर/गंगापुरसिटी
16. विकास अधिकारी पंचायत समिति, सवाईमाधोपुर/बामनवास/गंगापुर सिटी/बौली/ चौथ का बरवाडा/मलारनाडूंगर को उक्त का प्रचार प्रसार व नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
17. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सवाई माधोपुर को समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त का व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
18. निजी सहायक जिला कलेक्टर/अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अति०जिला मजिस्ट्रेट  
सवाईमाधोपुर

